1

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

प्रभू बनाम धमण्डी वगैरह

मुकदमा दावा दस्तकशी हक तकासमा नं. --------/-------सन् 2007

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/2/07	वादी वकील श्री सुरेशचन्द शर्मा एड. ने दावा बाबत दस्तकशी हक, तकासमा, हुक्म इमतनाई दायमी पेश किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर सम्मन प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 27/2/07 को पेश हो। उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)
255-301 2/2/07	
27/2/07	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 36,37 की ओर से R.B. Gupta एड. ने मेमो पेश कर वकालतनामा को समय चाहा। नं. 5,18 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 17, 3,4 19 लगा. 27, 31 लगायत 35, 38, 44, 47 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण 1,2,6, 28,29,30 39 से 43, 45, 46 तामील कुनिंदा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम में नहीं रहते सही पते के साथ सम्मन तलबाना 3 दिवस में पेश किया जावे। वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दि. 24/3/07 को पेश हो।
24/3/07	वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी नं. 36, 37 की ओर से वकालतनामा को एक मौका चाहा। प्रतिवादी नं. 5,18 की ओर से कोई उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

21-11-16 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19.12.16 को पेश हो।

3628
22-11-16

19.12.16
वकुलाय उप/ बइन्तजार कँवारा स्कीम दि० 26.12.16 को पेश हो।

26.12.16
वकुलाय उप/ गतानुसार दिनांक 25.1.17 को पेश हो।

25-1-17 वकुलाय उप०/ बइन्तजार कँवारा स्कीम दिनांक 13.2.17 को पेश हो।

13-2-17
पत्रावली पेश हुई/ कँवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है/ वादी वकील उपस्थित नहीं है कई बार आवाज दिलाई किन्तु उपस्थित नहीं है P.O.H. जयपुर पधारे है वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 14-2-17 को पेश हो।

14.2.17
पत्रावली पेश हुई/ कई बार आवाज दिलाई गई/ फिर भी वादी वकील उपस्थित नहीं है तथा वादीगण में से

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
	भी कोई उपस्थित नहीं है बंटवारा स्कीम का भी अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम मे भी विशेष विवरण में उल्लेख किया है कि पक्षकार प्र.स. किशनलाल, शिवलाल फौत, हरबाई फौत हो चुके है वादीगण एवं वादी वकील भी उपस्थित नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण को मुकदमे को आगे चलाये रखने मे रूचि नहीं है अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो